A-6/1

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प चौहटन

पीठासीन अधिकारी–श्री मधुसूदन शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2013

अपीलांट
सवाईराम पुत्र रामाराम जाति
जाट निवासी तारातरा
तहसील,चौहटन

बनाम

रेस्पोडेंट्स
1.केहनाराम पुत्र रामाराम
2.वालाराम पुत्र रामाराम
3.लछाराम पुत्र रामाराम
जाति जाट निवासी तारातरा
तहसील,चौहटन
4.तहसीलदार,चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 21.03.2005 द्वारा तहसीलदार,चौहटन

उपस्थितः–1.श्री वीरमाराम धारासर अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2.रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता उपस्थित।

आदेश दिनांक 10.07.2015

संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 986 रकबा 179–14 बीघा, खसरा नम्बर 947 रकबा 157 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 982 रकबा 50–08 बीघा एंव खसरा नम्बर 987 रकबा 11–07 बीघा मौजा तारातरा में आये हुए है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंटस ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार, चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया, जिस पर तहसीलदार, चौहटन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2005 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested

6/2

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01, 03 व 04 उपस्थित रहे। अपीलांट व रेस्पोडेंट के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। आदेश व अपीलाधीन पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 21.03.2005 को स्वीकृत करने के विरूद्व पेश की है। मौजा तारातरा के खसरा नम्बर 985 रकबा 0–03 बीघा,खसरा नम्बर 986 रकबा 179–14 बीघा,खसरा नम्बर 947 रकबा 157 बीघा 10 विस्वा,खसरा नम्बर 982 रकबा 50–08 बीघा एंव खसरा नम्बर 987 रकबा 11–07 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट्स ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त तथाकथित सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है, और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर अपीलांट की भूमि एंव आवास रेस्पोडेंट संख्या 01 केहनाराम की खातेदारी में होना बताया है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पटवारी हल्का ने भूमि मौके पर 15 बीघा कम होना बताया है। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यो, वं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,एंव नाप मे जितनी भूमि कम पड़ती है,उतनी भूमि आपस में कम करके उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा करने में सहमति प्रकट की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चौहटन ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाना है। अतः स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मयाद शुमार की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2005 को अपास्त किया जाता है। इस मामले में सुनवाई हेतु पेशी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख 18.09.2015 निश्चित की जाकर मामला उपखण्ड अधिकारी,चौहटन को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि वर्तमान में मौके की स्थिति का स्वंय निरीक्षण करें और पुनः भूमि नपवा कर जितनी भूमि कम पड़ती है,उतनी भूमि सभी पक्षकारों के बंट में कम करते हुए भौतिक कब्जे व नियमों के अनुसार पुनः आदेश पारित करें।

10.7.15

(मधुसूदन शर्मा)

जिला कलक्टर,बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर

आदेश खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 10.07.2015 को सभी उपस्थित जनों के समक्ष सुनाया गया।

11.7.15

जिला कलक्टर,बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:42 IST
Reason: SelfAttested